

(प्रपत्र-18)

कार्य का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्रत्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-5.500 कि०मी०)

कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
देहरादून



अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
देहरादून



वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज



उप-प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून
मसूरी वन प्रभाग



उप-प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग